बिहार स्टेट फूड एण्ड सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन लि०,
"खाद्य भवन", दारोगा प्रसाद राय पथ, आर० ब्लॉक, रोड नं०-2, पटना-800001

कार्यालय आदेश

निगम के पत्रांक 7138 दिनांक 3.9.20 द्वारा बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम के अन्तर्गत विभिन्न पदों पर संविदा पर नियोजन हेतु विज्ञापन का प्रकाशन किया गया था। उक्त विज्ञापन के आलोक में विभिन्न पदों के विरूद्ध प्राप्त आवेदनों पर स्थायी स्थापना समिति की अनुशंसा के आलोक में निगम ज्ञापांक 7670 दिनांक 23.09.2020 एवं 377 दिनांक-14.01.2021 द्वारा निम्नवर्गीय लिपिकों को राज्य खाद्य निगम के जिला कार्यालय में पदस्थापित किया गया था। कुछ निम्नवर्गीय लिपिकों द्वारा पदस्थापित स्थान पर योगदान समर्पित नहीं किये जाने के कारण उनका दावा समाप्त किया गया है। प्रतिक्षा सूची के कॉलम 2 में अंकित अभ्यर्थियों का औपबंधिक रूप से संविदा के आधार पर उनके नाम के सम्मुख कॉलम 7 में अंकित पद हेतु पत्र निर्गत की तिथि से एक वर्ष के लिए नियोजित करते हुए अगले आदेश तक कॉलम 8 में अंकित स्थान पर पदस्थापित किया जाता है। सभी अभ्यर्थियों को निदेश है कि वे पी0पी0ओ0/अंतिम वेतन प्रमाण पत्र/शपथ पत्र/स्वास्थ्य प्रमाण पत्र के साथ अविलम्ब पदस्थापित स्थान पर योगदान करना सुनिश्चित करेंगे। पूर्व में प्रस्तुत कागजातों में भिन्नता/त्रुटि पाये जाने एवं सेवा निवृति विभाग से प्रतिकुल प्रतिवेदन प्राप्त होने पर नियोजन रद्ध कर दिया जायेगा। नवपदस्थापन स्थान पर योगदान की तिथि से मानदेय आदि देय होगा।

क्र0	नाम	गृह जिला	सेवानिवृति का कार्यालय	सेवानिवृति का पद	कोटि	पद नाम जिसके विरूद्ध चयन किया गया है।	पदस्थापित स्थान
1	2	3	4	5	6	7	8
1	श्री संजय कुमार सिंह	मुजफफरपुर	आर्मी	सुबदेार (कर्ल्क एस0के0टी0)	सामान्य	निम्नवर्गीय लिपिक	प्रशासन शाखा, निगम मुख्यालय, पटना।
2	श्री नवल किशोर प्रसाद शाही	मुजफ्फरपुर	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मोतीपुर, मुजफफरपरु, बिहार	लिपिक	सामान्य	निम्नवर्गीय लिपिक	प्रशासन शाखा, निगम मुख्यालय, पटना।
3	श्री रत्नेश्वर प्रसाद सिंह	मुजफफरपुर	नगर निगम, मुजफ्फरपुर	सहायक	सामान्य	निम्नवर्गीय लिपिक	प्रशासन शाखा, निगम मुख्यालय, पटना।
4	श्री अशोक कुमार सिंह	पटना	पटना सिटी भवन प्रमंडल, गुलजारबाग, पटना	वरीय लेखा लिपिक	सामान्य	निम्नवर्गीय लिपिक	प्रशासन शाखा, निगम मुख्यालय, पटना।
5	श्री सुरेन्द्र सिंह	नवादा	अंचल कार्यालय, औआकोल, समाहरणालय, नवादा	उच्च वर्गीय लिपिक	सामान्य	निम्नवर्गीय लिपिक	प्रशासन शाखा, निगम मुख्यालय, पटना।
6	श्री तारा सिंह	भोजपुर	इफको राज्य कार्यालय रॉची झारखण्ड	डी0इ0ओ0-सह-सहायक ग्रेड-जे	सामान्य	निम्नवर्गीय लिपिक	प्रशासन शाखा, निगम मुख्यालय, पटना।

शर्ते :-

(i). अभ्यर्थियों की तत्काल औपबंधिक रूप से इस शर्त के साथ नियोजित की जाती है कि उनके द्वारा समर्पित प्रमाण पत्रों की सम्पुष्टि के क्रम में अथवा सेवा निवृत कार्यालय से कोई प्रतिकुल प्रतिवेदन प्राप्त होता है एवं कोई गड़बड़ी पाई जाती है तो संबंधित अभ्यर्थी का नियोजन तत्काल प्रभाव से रद्ध की जा सकेगी एवं उनके विरूद्ध आवश्यक विधिक कार्रवाई भी की जा सकेगी।

(ii). सभी अभ्यर्थियों को यह निदेश दिया जाता है कि अविलम्ब नवपदस्थापित स्थान पर अपना योगदान समर्पित करेंगे। इसके लिए किसी प्रकार का भत्ता आदि देय नहीं होगा।

(iii). नियोक्ता एवं अनुबंध के आधार पर नियोजित किये जाने वाले व्यक्ति के बीच विहित प्रपत्र में ननजुडिसिएल स्टाम्प पेपर पर एकरारनामा किया जाना आवश्यक होगा।

(iv). सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प ज्ञापांक 10000 दिनांक 10.07.2015 के अनुरूप मानदेय का भुगतान किया जायेगा।

23.2.21

(v). उल्लेखित पद पर संविदा/अनुबंध के आधार पर नियोजन प्रथम चरण में पत्र निर्गत की तिथि से एक वर्ष के लिए होगी तथा आवश्यकतानुसार अवधि विस्तार किया जायेगा। कार्यकलाप संतोषप्रद नहीं रहने अथवा क्षति/गबन पांये जाने पर इन्हें बगैर कोई सूचना के कार्य मुक्त कर दिया जायेगा।

(vi). अनुबंध के आधार पर नियोजित व्यक्ति न तो सरकारी सेवक माने जायेंगे और न सरकारी सेवकों को अनुमान्य किसी भी सुविधा के हकदार माने जायेगें। इस प्रकार नियोजित व्यक्ति द्वारा नियोजन के पश्चात सरकारी सेवा में नियमितीकरण का दावा मान्य नहीं होगा।

(vii). संविदा आधारित यह नियोजन बिल्कुल अस्थायी एवं औपबंधिक होगा। जैसे ही रिक्ति के विरूद्ध नियमित नियुक्ति(यथा सीधी नियुक्ति/प्रोन्नति के उपरान्त नियुक्ति) के उपरान्त पदस्थापन होते ही संविदा पर नियोजित कर्मी की सेवा स्वतः समाप्त हो जायेगी।

(viii). इनके द्वारा भविष्य में की गयी क्षति/गबन की राशि की वसूली उनके मानदेय से की जायेगी एवं मानदेय से वसूली संभव नहीं होने की स्थिति में बिहार एवं उड़ीसा लोक मांग वसूली अधिनियम के सुसंगत प्रावधानों के अधीन या निगम के प्रावधानों के तहत क्षति/गबन की वसूली उनके चल–अचल संपत्ति से की जायेगी।

(ix). अनुबंध की समाप्ति के पूर्व यदि नियोजित व्यक्ति पुनर्नियोजित नहीं होता है तो वैसी स्थिति में निर्धारित तिथि को उसका अनुबंध स्वतः समाप्त माना जायेगा और इसके लिए किसी आदेश का निर्गत किया जाना अपेक्षित नहीं होगा।

(x). इनके द्वारा संविदा पर निगम की सेवा छोड़ने के पूर्व निगम को एक माह का अग्रिम सूचना दिया जाना अनिवार्य होगा। नोटिस नहीं दिये जाने की स्थिति में उन्हें एक माह का मानदेय एक मुश्त भुगतान करना होगा। भुगतान नहीं करने की स्थिति में वह राशि बिहार एवं उड़ीसा लोक मांग वसूली अधिनियम के सुसंगत प्रावधानों के अधीन या निगम के प्रावधानों के तहत वसूलनीय होगी।

आदेश पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0/–
उप महाप्रबंधक,प्रशासन।

ज्ञापांकः–3:02:217:01:2018:– 1504 दिनांकः– 23/2/21

प्रतिलिपिः– सभी संबंधित निम्नवर्गीय लिपिक(संविदा) को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः–सभी जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–सभी मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक/उप महाप्रबंधक/गोपनीय शाखा/विपत्र लिपिक निगम मुख्यालय, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः–अपर सचिव खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः–आई0टी0 मैनेजर/कन्ट्रोल रूम प्रभारी को निगम के वेवसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

23.2.21
उप महाप्रबंधक,प्रशासन।